राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा
प्रार्थना पत्र संख्या 23/23
अजीत बनाम सेड्या वगैरह
निर्णय दिनांक 13.09.25

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
23/23	09.06.23	13.09.25

बउनवान

1. अजीत मीना पुत्र श्री समय सिंह मीना नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती बीना देवी पत्नि श्री समय सिंह जाति मीना निवासी जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. सेड्या मीना पुत्र श्री घसीडया राम निवासी जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. उप पंजीयक मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

उपस्थित : 1.अभिभाषक प्रार्थी– श्री प्रीतम चन्द सैनी
2.अप्रार्थीगण –स्वयं।

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

आज पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा** में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से जरिये वकील ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में प्रार्थी आगे कोई भी कार्यवाही नहीं चाहता है। इस बाबत् वकील प्रार्थी ने पत्रावली पर नोट प्रेस किया एवं पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी व उनके वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद नोट प्रेस के आधार पर खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 09.06.2023 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (Vacate) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा